अनुदान संख्या 67 — नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 67 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	5106,23,00	5106,26,00	4460,40,99	-645,85,01
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				562,10,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत—	Voted-		40,40,00	17,38,99	-23,01,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				22,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:—

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	50453.00	95.80	..	-95.80
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-50358.20			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"					
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy					
मू.	O.	456167.00				
पू.	S.	2.00		450410.50	442281.25	-8129.25
पु.	R.	-5758.50				

(I) ₹50456.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2019 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹50454.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा – ग्रिड इंटरैक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹50456.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2019) remained wholly unutilized under three heads; of these ₹50454.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "New and Renewable Energy - Grid Interactive and Distributed Renewable Power" - under the following heads:-

(का) "ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा" – ₹26251.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(A) "Grid Interactive Renewable Power"- ₹26251.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(खा) "ऑफ–ग्रिड / वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत" – ₹24203.00 लाख ।

(B) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power"- ₹24203.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2810" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:–

(II) Under Major Head "2810"- savings occurred under the following heads:-

(का) "नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास" –

(A) "Research, Design and Development in Renewable Energy"-

(क) "स्वायत्त निकाय" – ₹2200.00 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(a) "Autonomous Bodies"- saving of ₹2200.00 lakhs (against the sanctioned provision of

अधिप्राप्ति प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने, निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप न दिए जाने और संस्थान सभागार की फर्निशिंग के लिए भुगतान लंबित रहने की वजह से समिति द्वारा स्वीकृति रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

₹4100.00 lakhs) was due to non-materialization of procurement proposals, non-finalization of tender document and non-submission of clearance report by the committee for payment pending towards furnishing of institute auditorium.

(ख) "अनुसंधान और विकास" – ₹6856.66 लाख की बचत (₹9400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान/विकास कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी जारी करने में विलंब और कुछ अनुसंधान/विकास स्कीमों को बंद किए जाने के कारण हुई।

(b) "Research and Development"- saving of ₹6856.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9400.00 lakhs) was due to delay in issue of revised administrative sanction for research/development work and discontinuation of few research/ development schemes.

(खा) "सहायक कार्यक्रम – सहायक कार्यक्रम" – ₹4511.45 लाख की बचत (₹13220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण/प्रचार कार्यक्रम, प्रयोगशाला के उन्नयन/नई अध्येतावृत्तियों के लिए विश्वविद्यालयों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और संस्थानों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने मॉनीटरिंग/मूल्यांकन तथा अन्य अध्ययनों के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Supporting Programmes - Supporting Programmes"- saving of ₹4511.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13220.00 lakhs) was due to less training/publicity programmes, non-receipt of suitable proposals for upgradation of laboratory/new fellowships from universities, non-submission of utilization certificates by institutes and receipt of less proposals for monitoring/evaluation and other studies.

(गा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – ऑफ ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत" – ₹9498.84 लाख की बचत (₹21700.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power"- saving of ₹9498.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21700.00 lakhs); and

(घा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना" – "ऑफ ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत" – ₹2732.44 लाख की बचत (₹9350.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Off-Grid/ Distributed and Decentralized Renewable Power"- saving of ₹2732.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9350.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट/सोलर स्टडी लैम्पों के लिए केन्द्रीकृत निविदाकरण में विलंब होने और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम को बंद किए जाने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों में बदलाव के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to delay in centralized tendering by Energy Efficiency Services Limited for solar street lights/solar study lamps and continuation of National Biogas and Manure Management Programme after 12th Five Year Plan and changes in State implementing agencies.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹14841.34 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि, दिसंबर 2018 तथा फरवरी, 2019 में मुख्य शीर्ष "2810" – "ग्रिड इन्टरैक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत – ग्रिड इन्टरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत" के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹12318.91 लाख था।

2. The above savings were partly (₹14841.34 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2018 and February, 2019 under Major Head "2810" - "Grid Interactive and Distributed Renewable Power - Grid Interactive Renewable Power". Actual excess, however, was ₹12318.91 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4810" नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4810" Capital Outlay on New and Renewable Energy				
मू.	O.	4040.00	1840.00	1738.99	-101.01
पु.	R.	-2200.00			

(I) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग – कार्यालय भवन" – के अंतर्गत ₹2301.01 लाख की बचत (₹4040.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य में विलंब के कारण हुई।

(I) Under "New and Renewable Energy Programmes and Applications - Office Buildings"- saving of ₹2301.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4040.00 lakhs) was due to delay in construction work by Central Public Works Department.